राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक सी0डी0/एपिड/2021/123 दिनांक 23.06.2021

समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन–राजस्थान।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–जलजनित/मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं नियंत्रण की कार्यवाही को सुदृढ़ करने बाबत।

संदर्भः–निदेशालय के पत्र क्रमांक सीडी/एपिड/2021/23 दिनांक 19.01.2021

वतर्मान में वर्षा का मौसम आरम्भ हो गया है। वर्षा का मौसम बैक्टीरिया ग्रोथ के लिये उपयुक्त समय है। इन दिनों पेट दर्द, उल्टी–दस्त, दस्त, पीलिया, टाईफाईड, वायरल बुखार, चर्म रोग एवं आई फ्लू होने का खतरा रहता है। इस मौसम में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नही होने, सडे गले फल एंव सब्जियों व बासी भोजन के इस्तेमाल से मौसमी बीमारियां/जलजनित बीमारियॉ अधिक होने की सम्भावना रहती है।

अतः निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही किया जाना सुनिशचित करें :–

- जिला स्तर पर/ब्लॉक स्तर पर गठित रेपिड रेस्पोन्स टीमों को सतर्क/सुदृढ़ किया जावें। आर.आर.टी द्वारा क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर मौसमी बीमारियों के रोगियों को मौके पर उपचार दिया जावें तथा रोगों से बचाव हेतु जानकारियां दी जावें।
- समस्त चिकित्सा संस्थानों पर एवं रेपिड रेस्पोन्स टीम (आर.आर.टी.) को ओ.आर.एस.,जीवन रक्षक औषधियों तथा ब्लीचिंग पाउडर/क्लोरीन टेबलेट की उपलब्धता एवं भण्डारण सुनिश्चित करावें।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जावे। समस्त जिला चिकित्सालयों में बाढ से प्रभावित रोगियों की चिकित्सा सुविधा हेतु पृथक से वार्ड व्यवस्था करायी जावें।
- विगत वर्षो में मौसमी बीमारियों के अधिक रोगी पाये जाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर दलों द्वारा सर्वे, जॉच, तथा रोकथाम की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जावे।
- दूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु, अधिक से अधिक पानी के नमूने जॉच हेतु लिये जावे तथा जॉच हेतु लिये गये नमूनों में असंतोषप्रद पाये गये (नमूनों का लोकेशन, विभाग तथा सूची तैयार कर) पेयजल स्त्रोतों का पुनः क्लोरीनेशन कराते हुये शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जिला प्रशासन/जलदाय विभाग के सहयोग से करायी जावे।
- बीमारियों के निदान एवं त्वरित उपचार हेतु जल, मल, खून तथा पानी के नमूनों की कार्यवाही को सुदृढ बनाया जावे। सार्वजनिक स्थानों, राजकीय संस्थानों में पेयजल आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल स्त्रोंतों का नियमित जलशुद्धिकरण कराया जावे।
- बीमारियों के त्वरित उपचार एंव निदान हेतु मेडिकल कालेज के विशेषज्ञों का सहयोग आवश्यकतानुसार लिया जावे।
- पेयजल आपूर्ति किये जाने वाली पाईप लाइनों की नियमित जांच की जाकर लीकेज पाई जाने वाली पाईप लाइनों की मरम्मत जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय बनाकर कराई जावें।
- जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, स्वायत्त शासन संस्थाओं, एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर वर्षाजनित बीमारियों के नियन्त्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही किया जाना सुनिशचित करें।
- नगर निगम/नगर पालिका तथा ग्रामपंचायतों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं से समन्वय बनाकर नालियों की सफाई कराने, कीटनाशक दवाओं का छिडकाव एवं गड्ढों में गन्दा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाये जाने की व्यवस्था कराई जावे।
- वर्षा के मौसम में सर्पदंश के रोगी अधिक होने की संभावना को देखते हुये सर्पदंश के इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। बाढ से प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर चिकित्सा सुविधा समय रहते उपलब्ध कराई जावें।

- मौसमी बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम बाबत जन साधारण को प्रचार–प्रसार के माध्यम से रोगों से बचाव एवं उपचार हेतु जानकारी दी जावे।
- दैनिक समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होने से पूर्व ही विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिदिन अवगत कराया जावे।
- किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप होने पर सूचना दूरभाष/फैक्स नं0 0141–2225624, एवं ई–मेल आई.डी. cdcelldmhs@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। मौसमी बीमारियों की कार्यवाही को सुदृढ बनाते हुये निदेशालय को अवगत कराया जावे।

(डॉ0 रवि प्रकाश शर्मा)
अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक सी0डी0/एपिड/2021/123 दिनांक 23.06.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, चि0 एवं स्वा0 एवं प0क0 मंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, चि0 एवं स्वा0 एवं प0क0 राज्यमंत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0 विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. मिशन निदेशक (एन.एच.एम.), निदेशालय मुख्यालय।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
11. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, राजस्थान।
12. मुख्य अभियन्ता जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0/एड्स/आईईसी/प0क0) निदेशालय मुख्यालय।
14. प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय मुख्यालय।
15. पत्रावली/गार्ड फाईल।

अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर